झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्रांक – प0नि0वि0 / 07–योजना–27 / 2026 -2945(S)   दिनांक -09/07/2026

स्वीकृत्यादेश

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
झारखण्ड,
हिनू, रांची।

विषयः– **पाकुड़ अन्तर्गत ''तलवा से खारूटोला पथ भाया सलपानी (लं0–11.770 कि0मी0) एवं चन्दना से श्रीधरपाड़ा लिंक पथ (लं0–6.140 कि0मी0) (कुल लम्बाई–17.910 कि0मी0) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण, Plantation, भू–अर्जन एवं Utility Shifting सहित)'' हेतु रू0 128,20,34,500/– (एक सौ अठाईस करोड़ बीस लाख चौंतीस हजार पाँच सौ रू0) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के सम्बंध में।**

13/7/26

आदेशः– उपर्युक्त कार्य के लिए कुल रू0 128,20,34,500/– (एक सौ अठाईस करोड़ बीस लाख चौंतीस हजार पाँच सौ रू0) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस निर्माण कार्य में होने वाला व्यय झारखण्ड सरकार के पथ निर्माण विभाग के व्यय शीर्ष ''मुख्य शीर्ष–5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय/उप मुख्य शीर्ष–03–राज्य राजमार्ग/लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना/उप शीर्ष–01–वृहद सड़कें/विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45– निर्माण कार्य'' के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पाकुड़ होंगे, तथा इस राशि की निकासी कोषागार, पाकुड़ से की जायेगी।

4. इस कार्य को निम्न वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के अनुरूप पूरा किया जाएगा:–

वित्तीय वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य
2026–27	रू0 9000.000 लाख	70%
2027–28	रू0 3820.345 लाख	30%

5. मुख्य अभियंता (या0), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची इस कार्य के प्रगति की समीक्षा प्रतिमाह नियमित रूप से करेंगें।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे यह देखें कि यदि ऐसी कोई योजना या कार्य के विरूद्व राशि व्यय की जा रही है जिसे दूसरे श्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है तो इसकी निकासी को रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी तथा विभाग को देगें।

7. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

09/07/2026
सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक– प0नि0वि0 / 07–योजना–27 / 2026 -2945(S) दिनांक 09/7/2026

प्रतिलिपिः–मुख्य अभियंता(याता0), पथ निर्माण विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, राँची / अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, दुमका / कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पाकुड़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. इस स्वीकृति में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु राशि का प्रावधान सम्मिलित नहीं है ।

3. इस स्वीकृति में आकस्मिकता व्यय की राशि सम्मिलित है, जिसके आवंटन हेतु अधियाचना के साथ उचित प्रयोजन दर्शाया जाना आवश्यक होगा।

4. मंत्रिपरिषद के स्वीकृतार्थ संलेख में अंकित है कि *ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, रांची द्वारा पथ के हस्तांतरण हेतु अनापत्ति प्राप्त कर ली जाएगी। विषयगत कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, रांची से अनापत्ति प्राप्त कर ही निविदा आमंत्रण संबंधी अनुवर्त्ती कार्रवाई की जाएगी।* ग्रामीण कार्य विभाग, झारखंड, रांची द्वारा उक्त पथ को पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को हस्तांतरित करने हेतु अनापत्ति दी गई है (ग्रामीण कार्य विभाग के पत्र सं0–2370, दिनांक–02.07.2026)।

साथ ही संबंधित कार्यपालक अभियंता की यह जिम्मेवारी होगी कि पथ के विधिवत् हस्तांतरण के पश्चात् ही योजना से संबंधित कार्यान्वयन की कार्रवाई की जायेगी एवं योजना कार्यान्वयन हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के अनुरूप निधि का प्रबंध सुनिश्चित करते हुए कार्य पूर्ण किया जाय।

5. मुख्य अभियंता (या.) पथ निर्माण विभाग, राँची कार्य की अद्यतन प्रगति की समीक्षा कर प्रतिमाह अभियंता प्रमुख को प्रतिवेदन समर्पित करेगें।

09/07/2021

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक– प0नि0वि0 / 07–योजना–27 / 2026 2945(S) दिनांक 09/7/2026

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची / विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग झारखण्ड, राँची का प्रकोष्ठ / सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची / सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची / सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची / आयुक्त, संथालपरगना प्रमण्डल, दुमका / अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखंड, राँची / अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, झारखंड, राँची / उपायुक्त, पाकुड़ / संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / उप सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / उप सचिव (प्र0) पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / कार्यपालक अभियंता (योजना एवं अण्वेषण), मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / कार्यपालक अभियंता (मु0), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / योजना पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / सहायक अभियंता (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / अवर सचिव, प्रशाखा–12, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची एवं सम्बन्धित प्रशाखा पदाधिकारी को (पाँच प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/07/2026

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– प0नि0वि0 / 07–योजना–27 / 2026 –2945(S) दिनांक –09/7/2026

प्रतिलिपि :– प्रधान महालेखाकार (अंकेक्षण), झारखण्ड, राँची / कोषागार पदाधिकारी, पाकुड़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/07/2026

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक– प0नि0वि0 / 07–योजना–27 / 2026 –2945(S) दिनांक –09/07/2026

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–7, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को सभी सम्बन्धित को ई–मेल (E-mail) से भेजने एवं ई–प्रोक्योरमेंट सेल, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, रांची को वेबसाईट www.jharkhand.gov.in/road पर upload करने हेतु प्रेषित।

09/07/2026

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, रांची।